

TDL/EN/RTI/212(A)

उप महाप्रबन्धक प्रशासन, सी. पी. आई. ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.,
नई दिल्ली.

विषय :- जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत श्री ब्रह्मदेव, एडवोकेट न्यायालय
न्याय निकुंज गेट नं०-4 के पास सिविल कोर्ट, अलीगढ़ द्वारा मांगी गयी सूचना
दिनांक- 27.09.2022 के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- पत्रांक-2022/HQ/Admin/RTI-1273 दि० नई दिल्ली 30.09.2022 Shri S.K.
Panda, JGM/Admin (CPIO)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना निम्नवत् सेवा में प्रेषित है।

क्र०सं०	चाही गयी बिन्दुवार सूचना	उत्तर
1.	खसरा नं०-306 अ रकवा 15 विस्वा व खसरा नं०-307 व रकवा 11 विस्वा, खसरा नं०-308 रकवा 2 बीघा 3 विसे व खसरा नं०-313 रकवा 2 बीघा 1 विसे, खसरा नं०-314 रकवा 2 विसे, खसरा नं०-316 अ रकवा-1 विसे कुल रकवाई 6 बीघा 2 विसे मौजा स्थित भमौला माफी, परगना व तहसील-कोल, जिला-अलीगढ़ की भूमि का तकार सोनपाल व रामसहाय व दीपचन्द्र पुत्रगण टीकाराम की भूमि क्या आपने कभी अधिग्रहण की है।	ग्राम-भमौला, परगना व तहसील-कोल, जिला-अलीगढ़ की कोई भी भूमि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर वि शेष रेल परियोजना में अधिग्रहण नहीं की गयी है। उक्त ग्राम डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर वि शेष रेल परियोजना में प्रभावित नहीं है।
2.	क्या उक्त भूमि अगर आपने अधिग्रहण की है, तो उसका मुआवजा क्या किसानों को दिया गया अगर दिया गया तो दिन व माह और सन् बतायें।	ग्राम-भमौला, परगना व तहसील-कोल, जिला-अलीगढ़ की कोई भी भूमि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर वि शेष रेल परियोजना में अधिग्रहण नहीं की गयी है। उक्त ग्राम डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर वि शेष रेल परियोजना में प्रभावित नहीं है।
3.	क्या उक्त भूमि अधिग्रहण की गयी है, तो नक्शा सपटित हस्ताक्षर उक्त दिलाया जाये।	ग्राम-भमौला, परगना व तहसील-कोल, जिला-अलीगढ़ की कोई भी भूमि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर वि शेष रेल परियोजना में अधिग्रहण नहीं की गयी है। उक्त ग्राम डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर वि शेष रेल परियोजना में प्रभावित नहीं है।

तदनुसार सूचना आव यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
धन्यवाद।

(जे.के. सिंह)
30/09/22

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / (इंजी०),



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कोरपोरेशन लिमिटेड
(एन सी सी आई एल) (एन सी सी आई एल)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

Dated-03.10.2022

Dy.CPM/Engg Y-22/M-10/RTI-10/Letter

सेवा में

श्रीमान् मुख्य महाप्रबन्धक,
डी एन सी सी आई एल, दुल्हनवाड़ा।

विषय :- जनसूचना अधिनियम-2005 के तहत श्री ब्रह्मदेव राजवोकट न्यायालय न्याय
निकुल गेट नं०-4 के पास सिविल कोर्ट, अलीगढ़ द्वारा मांगी गयी सूचना विनिर्दिष्ट
संदर्भ :- पत्रांक-2022/HQ/Admin/RTI-1273 दि० नं० दिल्ली 30.09.2022 Shri. S.S. Pandey,
JGM/Admin (CPIO)

निर्दिष्ट :- कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना निम्नवत् सेवा में प्रेषित है।

क्र०सं०	चाही गयी विन्दुवार सूचना	उत्तर
1	खसरा नं०-306 अ खसरा 15 विन्दा व खसरा नं०-307 व खसरा 11 विन्दा खसरा नं०-308 खसरा 2 बीघा 3 विस व खसरा नं०-313 खसरा 2 बीघा 1 विस, खसरा नं०-314 खसरा 2 विस खसरा नं०-316 अ खसरा-1 विस कुल खसरा 6 बीघा 2 विस विन्दा सिता ममोला परगना व तहसील-काल जिला-अलीगढ़ की भूमि कायदाकार राजपाल व रामसहाय व दीपचन्द्र प्यारमण टीकाराम की भूमि तथा अन्य कमी अधिग्रहण की है।	ग्राम-ममोला परगना व तहसील-काल जिला-अलीगढ़ की कोड की भूमि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर विशेष रेल परियोजना में अधिग्रहण नहीं की गयी है। उक्त ग्राम डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर विशेष रेल परियोजना में प्रभावित नहीं है।
2	क्या उक्त भूमि अंगर आपने अधिग्रहण की है तो उक्त भूमि ममोला विस किल्ला के दिग्ग नंदा अंगर दिया गया तो दिन व माह और सब बतायी।	ग्राम-ममोला परगना व तहसील-काल जिला-अलीगढ़ की कोड की भूमि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर विशेष रेल परियोजना में अधिग्रहण नहीं की गयी है। उक्त ग्राम डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर विशेष रेल परियोजना में प्रभावित नहीं है।
3	क्या उक्त भूमि अधिग्रहण की गयी है तो नगरपालिका हस्ताक्षर रकम दिनांक ज्ञेय।	ग्राम-ममोला परगना व तहसील-काल जिला-अलीगढ़ की कोड की भूमि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर विशेष रेल परियोजना में अधिग्रहण नहीं की गयी है। उक्त ग्राम डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर विशेष रेल परियोजना में प्रभावित नहीं है।

विन्दुवार सूचना आत्यन्तिक कार्यवाही हेतु सावर प्रेषित है।
सन्तुष्ट।

(ज.क. सिंह)

उप मुख्य परिचालना प्रबन्धक (इंजीनियर)
डी एन सी सी आई एल, दुल्हनवाड़ा, अलीगढ़

Dy.CPM/Engg (DFCCIL office - IMSD Building at New Daud Khan/DFCCIL (Near Village-Chirauli Daud Khan) Aligarh - 202002, Uttar Pradesh) (S)

श्री एम. एन. शुक्ला, फॉर्मर डायरेक्टर (DF & CR)
Year's Issue No. 9